



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

पौष 13, बुधवार, शाके 1939-जनवरी 3, 2018  
Pausa 13, Wednesday, Saka 1939-January 3, 2018

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 3, 2018

संख्या एफ.3(1)(8)प्रथम/निर्वा/2017/डी-839 :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

अश्विनी भगत,  
शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 3 जनवरी, 2018  
13 पौष, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100/राज0-वि0स0/2018(3) :- यतः, राजस्थान राज्य की विधान सभा में, उस राज्य के 183-माण्डलगढ़ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित, सुश्री कीर्तिकुमारी के स्थान, उनके मृत्यु के परिणामस्वरूप 28 अगस्त, 2017 को रिक्त हो गया है ; और 2 यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3 अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा -

(अ) राजस्थान राज्य में 183-माण्डलगढ़ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 3 फरवरी, 2018 (शनिवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के

उपबन्धों के अनुसार उस राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में —

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	10 जनवरी, 2018 (बुधवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	11 जनवरी, 2018 (बृहस्पतिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	15 जनवरी, 2018 (सोमवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	29 जनवरी, 2018 (सोमवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	03 फरवरी, 2018 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

प्रमोद कुमार शर्मा,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग ।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

Dated: 3<sup>rd</sup> January, 2018  
13 Pausha, 1939 (Saka)

**NOTIFICATION**

**No. 100/RJ-LA/2018(3) :- WHEREAS**, the seat of Ms. Kritikumari, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **183-Mandalgarh** Assembly Constituency, has become vacant on 28<sup>th</sup> August, 2017 by reason of her death; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: —

(A) **Calls upon** the said **183-Mandalgarh** Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the

3<sup>rd</sup> February, 2018 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

**(B) appoints**, with respect to the said election, -

- (a) the 10<sup>th</sup> January, 2018 ( Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 11<sup>th</sup> January, 2018 ( Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 15<sup>th</sup> January, 2018 ( Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 29<sup>th</sup> January, 2018 ( Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 3<sup>rd</sup> February, 2018 ( Saturday), as the date before which the election shall be completed;

**and**

**(C) fixes the hours** from 8.00 AM to 6.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

**By Order,**

**PRAMOD KUMAR SHARMA,  
SECRETARY,  
ELECTION COMMISSION OF INDIA.**

**Government Central Press, Jaipur.**